

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प आलोड)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान आर.ए.ए.

मिसल संख्या:- 04/2022

-:आदेश:-

दिनांक 03/01/2022

आलोड

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत.....
व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
अनुसरण में ग्राम सुशांलपुर पटवार मण्डल आलोड की जमाबन्दी सम्वत् 2075.78
83 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क जानी है)
1	<u>सुशांलपुर</u>	<u>83</u>	<u>सुभाष चन्द पुत्र रेवमचड</u>	<u>सुभाष चन्द पुत्र</u> <u>रमोराम</u>

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/07-08

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)

2. प्रार्थी सुभाष चन्द पुत्र रेवमचड को सूचनार्थ

सुशांलपुर

उपखण्ड अधिकारी
(सुनील कुमार चौहान)
एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना

दिनांक :- 03/01/2022



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज.)